न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 69 / 2022
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... लक्ष्मी देवी ..... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... एतवा कुजूर ..... वगैरह

5.8.22

वाद की कार्रवाई थाना बसिया अप्राथमिकी सं० 05 /2022 दिनांक 21.06.2022 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) लक्ष्मी देवी उम्र 63 वर्ष, पति–स्व0 दसई कुजूर (2) बीना कुजूर उम्र 37 वर्ष पे० स्व० दसई कुजूर दोनों सा0 ममरला पाकर टोली, थाना– बसिया, जिला– गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) एतवा कुजूर उम्र 60 वर्ष पे० स्व० काना कुजूर (2) दायामुनी कुमारी उम्र 55 वर्ष पतिएतवा कुजूर (3) अमीत कुजूर उम्र 20 वर्ष पे० एतवा कुजूर (4) विनित कुजूर उम्र 18 वर्ष पे० एतवा कुजूर, चारों सा० ममरला पाकर टोली, थाना– बसिया, जिला– गुमला के बीच खाता नं0 71, प्लॉट न0 – 700, रकबा 0.17 एकड़ जमीन जिसका चौहदी उतर में दुर्गा बडाईक का घर है, दक्षिण मे तलाब के बाद राजू बड़ाईक का घर है, पुरब में राजू बड़ाईक का कुआँ बारी है, पश्चिम में सिसई बसिया पक्की सड़क है को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु प्रथम पक्ष कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किये।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा अपने आवेदन में खाता नंबर – 71, प्लॉट नंबर – 700, रकबा – 17 डिसमिल जमीन को अपने पति स्व० दसई कुजूर के द्वारा खरीद करने की बात कहते हैं । प्रथम पक्ष के पति स्व० दसई कुजूर एवं द्वितीय पक्ष एतवा कुजूर दोनों सगे भाई हैं। जिससे समय उक्त जमीन का खरीद किये उस समय सम्मिलित रूप से खरीद किए एवं बड़े भाई होने के नाते रजिस्ट्री के समय दसई कुजूर के नाम रजिस्ट्री पट्टा बना है और बड़े भाई दसई कुजूर के द्वारा कहा गया कि उक्त जमीन भले मेरे

नाम का रजिस्ट्री है परंतु तुम्हारा भी हिस्सा है कहते हुए द्वितीय पक्ष एतवा कुजूर को उस जमीन पर घर बनाकर रहने को दिया इस प्रकार एतवा कुजूर जमीन खरीद के समय से ही अभी तक मकान बनाकर लगातार 30 वर्षों से रहते आ रहे हैं यह कि उपरोक्त खाता – 71, प्लॉट नंबर – 700, रकबा 17 डिसमिल जमीन को प्रथम पक्ष के पति दसई कुजूर अपने जीवनकाल में बिमारी का इलाज कराने के समय अपने भाई द्वितीय पक्ष के पति एतवा कुजूर उपरोक्त खाता नंबर – 71, प्लॉट नंबर 700 रकबा 17 डी0 जमीन को दिनांक 10.05.1984 ई० को दर रैयती बिक्री हमेशा के लिए 2500 (पचीस सौ रु०) लेकर लिख दिए एवं उक्त जमीन पर दखल दे चूके हैं उस दर रैयती बिक्री के पश्चात परमिशन कराकर रजिस्ट्री करने की बात तय था परन्तु दसाई की मृत्यु अचानक हो जाने के कारण परमिशन कराकर रजिस्ट्री नहीं हो सका परंतु उक्त जमीन पर सम्मिलित रूप से खरीद किए थे परंतु उक्त जमीन को दसई कुजूर अपने भाई एतवा कुजूर को दे चूके थे । प्रथम पक्ष लक्ष्मी देवी द्वारा दिए गए आवेदन में एतवा कुजूर का नाम के अलावे अन्य द्वितीय पक्ष का नाम नहीं है । उक्त वाद में पुलिस के द्वारा जान बूझकर नाबालिग बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले छात्र जो घर में नहीं रहते हैं वे हमेशा बाहर रहकर पढ़ाई करते है उसे भी द्वितीय पक्ष में नाम अमित कुजूर एवं विनीता कुजूर दर्ज कर दिया है। प्रथम पाँच लक्ष्मी देवी को पति 10 दसई कुजूर के मृत्यु पश्चात अपने भाई एतवा कुजूर का अनुकंपा में नौकरी लगा नौकरी लगने के बाद सभी परिवार को साथ में रखकर देख रेख बच्चों का पढ़ाई लिखाई कराना इस प्रकार प्रथम पक्ष को एवं उनके पुत्रों के ऊपर 10,00,000 (दस लाख) से भी अधिक खर्च कर चूके हैं। प्रथम पक्ष लक्ष्मी देवी दूसरों के बातों में चलकर जान बूझकर अपने देवर द्वितीय पक्ष एवं अन्य सदस्यों को तंग तबह एवं परेशान करने के लिए केस कर दी है। प्रथम पक्ष पति दसई कुजूर जिस समय बीमार थे उस समय दसई कुजूर का सेवा एवं देखरेख नहीं किए एवं मायके में भागकर रहती थी। जब दसई कुजूर का मृत्यु हो गया तब उनका जगह जमीन का हिस्सा खोज रही है जो सरासर गलत है कभी लक्ष्मी देवी अपने पति के साथ ठीक ढंग से नहीं रहती थी। एतवा कुजूर सभी परिवार के सदस्यों को संभालकर रखें एवं जमीन जगह का कागजात भी रखे क्योंकि अपने परिवार के पुरुष मालिक थे । प्रथम पक्ष द्वारा लाया गया वाद झूठा एवं मनगढ़ंत है एवं दबंगई से उक्त जमीन जगह को हड़पना चाहती है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए इनमें प्रथम पक्ष के विरुद्ध स्थिर किया जाय।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादगत भूमि खाता नं0 71, प्लॉट न0 – 700, रकबा 0.17 एकड़ जमीन से संबंधित है।

प्रथम पक्ष को नोटिस करने के बावजूद भी प्रथम पक्ष कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपने विद्धान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किये। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष को इस वाद में कोई भी अभिरूची नहीं है। वर्तमान में वादगत भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.24 11:11:37 +05:30
Location: 192.168.1.4